Government of Rajasthan

Parliamentary Affairs Department

No. F7(1) Sansad/2010 *Jaipur, dated 9-11-10*

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called Rajasthan Legislative Assembly #Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules. 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of April, 2010.

2. Definitions.– In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957);

(b) "Assembly" means the Rajasthan Legislative Assembly;

(c) "Authorised Shops" means shops recognized under the 10 for the purpose of supplying medicines to the Ex-Members;

(d) "Ex-Member" means a person who is entitled to pension under section 4-A of the Act;

(e) "Family" means ex-member's wife/husband if wholly dependent upon the ex-member. Wife/husband will be regarded as wholly depended upon the ex-member if she/he normally resides with the ex-member. In case the ex-member

---

Sub. by Notification No. F7 (1) Sansad/2012 dated June 14, 2012 w.e.f 1st April, 2012

राजस्थान सरकार

संसदीय कार्य विभाग

सं. एफ.7(1) संसद/2010 जयपुर, दिनांक : 9.11.10

अधिसूचना

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य[#] और कुटुम्ब पेन्शनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2010 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;

(ख) ''सभा'' से राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकृत दुकानों'' से भूतपूर्व सदस्यों को औषधों की आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ नियम 10 के अधीन मान्यता प्राप्त दुकानें अभिप्रेत हैं;

(घ) ''भूतपूर्व सदस्य'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन का हकदार है;

(ड) ''कुटुम्ब'' से भूतपूर्व सदस्य की पत्नी/पति अभिप्रेत है, यदि वह पूर्णतः भूतपूर्व सदस्य पर आश्रित है। पत्नी/पति भूतपूर्व सदस्य पर पूर्णतः आश्रित माना जायेगा यदि वह सामान्यतः भूतपूर्व सदस्य के साथ रहता है/रहती है यदि भूतपूर्व सदस्य का कोई पुत्र

[#] अधि. सं. एफ.7(1) संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. 1.4.2012

has a son or unmarried daughter suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, he or she will be regarded as a member of family for the purpose of medical facility available under these rules; and

*(f) "Family Pensioner" means ex-members wife/husband and who is entitled to Family pension under Section 4-e of the Act.

#(g) "Secretary" means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any officer of the said Assembly, specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules.

3. Medical Attendance and Treatment.- An ex-member and his family members shall be provided free medical attendance and treatment as admissible to State Government servant under rules 6, 7, 8 and 10 of Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2008, subject to the following conditions, namely:-

(a) Allopathic drugs, medicines, vaccines, sera, other therapeutic substances not ordinarily available in Government Hospitals free of charge can be taken from the authorised shop in case of outdoor treatment up to the cost ceiling given below :-

(i) Ex-Members below the age of 75 years - Rs. 5000 per annum.

(ii) Ex-Members who have attained the age of 75 years or above - Rs. 10000 per annum

Provided that medicines to the indoor patient shall be made available irrespective of the cost ceiling,

---

* Sub. By notification No. F7(1) Sansad/2012 dated June 14, 2012 w.e.f. 1st April, 2012

Renumbered-IBID

या अविवाहित पुत्री किसी मानसिक विकार या अक्षमता या किसी शारीरिक अपंगता या अक्षमता से ग्रस्त जिससे वह अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो वह इन नियमों के अधीन उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब के सदस्य के रूप में समझा जायेगा; और

*(च) ''कुटुम्ब पेंशनर'' से भूतपूर्व सदस्य की पत्नी/पति और जो अधिनियम की धारा 4-ग से अधीन कुटुम्ब पेंशन का हकदार है, अभिप्रेत है।

#(छ) ''सचिव'' से सचिव, राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है और उसमें उक्त सभा का कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों का पालन करने के लिए स्पीकर द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

3. चिकित्सीय परिचर्या और उपचार.- किसी भूतपूर्व सदस्य और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के नियम 6, 7, 8 और 10 के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारी को अनुज्ञेय मुक्त चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराया जायेगा, अर्थात :-

(क) एलोपैथिक औषधि, औषधों, वेक्सीन, सीरा, अन्य थैरोपेटिक सब्सटेन्स जो सामान्यतः सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं बाह्य उपचार की दशा में प्राधिकृत दुकान से नीचे दी गयी सीमा तक निःशुल्क ली जा सकेंगी :-

(i)	भूतपूर्व सदस्य जो 75 वर्ष से कम आयु का है	5000 रुपये प्रतिवर्ष
(ii)	भूतपूर्व सदस्य जिसने 75 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली है	10000 रुपये प्रतिवर्ष

परन्तु अंतरंग रोगी को औषधों खर्च सीमा का विचार किये बिना उपलब्ध करायी जायेंगी,

---

* अधिसूचना एफ7(1) संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012 दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी

\# (पुनर्संख्यांकित-IBID (पूर्वोक्त)

(b) The Secretary is authorised to reimburse the test charges (Pathological, Bacteriological, Radiological and other tests) up to Rs. 5000/- per annum in each case. The Test charges shall be reimbursable if Non Available Certificate from the Government hospital has been obtained or charges paid in the Government hospital, if any.

#(c) In case of Indoor treatment in approved hospitals, the cost of medicines purchased from private shops (other than cooperative shops/ with authorised shops) shall be reimbursable.

4. Relaxation in cost ceiling under rule 3.- (1) Secretary may extend the cost ceiling of medicines under rule 3 up to Rs. #35000/- per annum in all deserving cases and in respect of treatment of cancer kindney failure and Renal disease up to limit of Rs. 50,000/- per annum. Subject to proposals being approved by a Committee, consisting of the following, namely :-

1.	Secretary	President
2.	Medical Officer of the Government Hospital of the Rajasthan Vidhan Sabha	Member
3.	Chief/Senior Accounts Officer	Member Secretary

Note : The Secretary may obtain second medical opinion after scrutiny of the case where felt necessary.

(2) The State Government may grant further relaxation in cases of severe and persistent diseases upon recommendation of the committee mentioned in sub-rule (1) along with medical opinion of Principal, Government Medical College, Jaipur/Jodhpur/Bikaner/Ajmer/Kota/ Udaipur, Director, Ayurved, as the case may be.

5. Maintenance of Ex-Member's Medical Diary.- (1) Every Ex-member shall have a medical diary, which shall contain his particulars with a joint photograph of self and spouse in Form-1. The Joint photo-graph of ex-member and his spouse shall be affixed on the medical diary and attested by the Secretary.

Sub No. F7(2) Sansad/2009 dated Feb. 1, 2012 w.e.f 1st October, 2011

(ख) सचिव, प्रत्येक मामले में 5000/- रुपये प्रतिवर्ष तक जांच प्रभारों (पैथोलोजिकल, बैक्टैरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल और अन्य जांचों) के पुनर्भरण के लिए प्राधिकृत है। जांच प्रभार पुर्नभरणीय होंगे यदि सरकारी अस्पताल से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है या प्रभार, यदि कोई हों, सरकारी अस्पताल को संदत्त कर दिये गये हैं।

#(ग) अनुमोदित अस्पतालों में अंतरंग उपचार की दशा में, निजी दुकानों (सहकारी दुकानों/प्राधिकृत दुकानों से भिन्न) से क्रय की गयी औषधों की लागत प्रति पूर्ति योग्य होगी)।

4. नियम 3 के अधीन खर्च सीमा में शिथिलीकरण.- (1) सचिव, नियम 3 के अधीन औषधों की खर्च सीमा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा अनुमोदित किये गये प्रस्तावों के अध्यधीन समस्त पात्र मामलों में प्रतिवर्ष #35000/- रुपये तक और केन्सर, किडनी फेल और गुर्दा (रेनल) रोग के उपचार के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 50,000/- रुपये की सीमा तक बढ़ा सकेगा, अर्थात :-

1.	सचिव	अध्यक्ष
2.	राजस्थान विधान सभा के सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य सचिव

टिप्पण : सचिव, जहां आवश्यक समझे मामले की संवीक्षा के पश्चात् दूसरी चिकित्सकीय राय उभिप्राप्त कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, उप-नियम (1) में वर्णित समिति की सिफारिश के साथ ही प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा/उदयपुर या, यथास्थिति, निदेशक, आयुर्वेद की राय पर गम्भीर और लगातार चलने वाले रोगों के मामले में आगे और शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।

5. भूतपूर्व सदस्य की चिकित्सा डायरी का रखरखाव.- (1) प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य की एक चिकित्सा डायरी होगी जिसमें प्ररूप-1 में उसका और उसकी पत्नी या पति के एक संयुक्त फोटोग्राफ के साथ उसकी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी। भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति का संयुक्त फोटोग्राफ चिकित्सा डायरी पर चिपकाया जायेगा और सचिव द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

एफ7(2) संसद/2009 दिनांक 1 फरवरी, 2012 से प्रतिस्थापित w.e.f. 1.10.2011

(2) The medical diary shall have to be renewed every year on payment of renewal fee unless it has been issued for the whole life after making one time fee as prescribed in rule 6. The Secretary may renew the medical diary by affixing the seal "renewed for the year……" and shall sign below the renewal order. The seal of renewal shall be affixed immediately after last entry in regard to supply of medicines in the preceding year. The ex-member shall be entitled to concession under these rules only after Renewal of the medical diary for that year. The renewal fee shall be credited to the revenue receipts.

(3) The authorised medical attendant shall, after identification of the ex-member on the basis of medical diary, record prescription in the medical diary of the ex-member itself and ensure that he does not prescribe those medicines for ex-member which have been incorporated in the 'negative list medicines' applicable to the Government servants. The prescription recorded by the authorised medical attendant in the medical dairy shall bear number and date of concerned dispensary or hospital and also full signature of the authorized medical attendant with his official seal. The official seal in rubber stamp shall also indicate the name of the authorised medical attendant.

(4) The ex-member shall present the medical diary along with photocopy of the prescription, which shall be kept by the authorised shopkeeper who shall supply medicines free of cost. The authorised shopkeeper shall be required to record legibly the names of the medicines supplied to the ex-member against the prescription of the authorized medical attendant. He shall record the bill number, date and the amount of the bill in the relevant coloumn of the medical diary. The authorized shopkeeper shall issue bill in respect of medicines sold to the ex-member on the basis of the prescription of the authorized medical attendant. He may require the ex-member to produce medical diary at the time of purchase. If the ex-member himself is unable to visit the shop for purchase of medicines then same can be purchased by his/her spouse, who may be identified on the basis of photo available in the medical diary or through his/her representative from the authorised shop. The recipient shall be required to sign the bill legibly.

(2) चिकित्सा डायरी, नवीकरणीय फीस के संदाय पर प्रतिवर्ष नवीकृत करानी होगी जब तक कि नियम 6 में यथा विहित एक बारीय फीस जमा कराने के पश्चात् पूरे जीवन के लिए जारी न की गयी हो। सचिव ''वर्ष.....के लिए नवीकृत'' मुहर लगाने के द्वारा चिकित्सा डायरी नवीकृत कर सकेगा और नवीकृत आदेश के नीचे हस्ताक्षर करेगा। नवीकरण की मुहर, पूर्ववर्ती वर्ष में औषधों के प्रदाय के सम्बन्ध में अन्तिम प्रविष्टि के ठीक पश्चात् लगायी जायेगी। भूतपूर्व सदस्य, उस वर्ष के लिए चिकित्सा डायरी के नवीकरण के पश्चात् ही इन नियमों के अधीन रियायत का हकदार होगा। नवीकरण फीस राजस्व प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

(3) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक, चिकित्सा डायरी के आधार पर भूतपूर्व सदस्य की पहचान करने के पश्चात् भूतपूर्व सदस्य की चिकित्सा डायरी में स्वयं नुस्खा अभिलिखित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसने भूतपूर्व सदस्य के लिए उन औषधों को विहित नहीं किया है जो सरकारी कर्मचारियों को लागू ''नकारात्मक औषध सूची'' में समाविष्ट हैं। चिकित्सा डायरी में प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा अभिलिखित नुस्खे पर सम्बन्धित डिस्पेन्सरी या अस्पताल का संख्यांक और तारीख होगी और उसकी कार्यालय मुहर सहित प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के पूर्ण हस्ताक्षर भी होंगे। रबर स्टाम्प में कार्यालय मुहर प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का नाम भी उपदर्शित करेगी।

(4) भूतपूर्व सदस्य, नुस्खे की फोटोप्रति के साथ चिकित्सा डायरी प्रस्तुत करेगा जो प्राधिकृत दुकानदार द्वारा रखी जायेगी जो नि:शुल्क औषधों का प्रदाय करेगा। प्राधिकृत दुकानदार से अपेक्षा की जायेगी कि वह प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के नुस्खे के एवज में भूतपूर्व सदस्य को प्रदाय किए जाने वाले औषधों के नाम सुपाठ्य रूप से अभिलिखित करे। वह चिकित्सा डायरी के सुसंगत स्तंभ में बिल संख्या, तारीख और बिल की रकम अभिलिखित करेगा। प्राधिकृत दुकानदार प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के नुस्खे के आधार पर भूतपूर्व सदस्य को विक्रीत औषधों के सम्बन्ध में बिल जारी करेगा। वह भूतपूर्व सदस्य से क्रय के समय चिकित्सा डायरी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। यदि भूतपूर्व सदस्य स्वयं औषधों के क्रय के लिए दुकान पर आने में असमर्थ है तो वह उसकी पत्नी/पति द्वारा जिसकी पहचान चिकित्सा डायरी में उपलब्ध फोटो के आधार पर की जा सकेगी या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकृत दुकान से क्रय की जा सकेगी। प्राप्तकर्ता से बिल पर सुपाठ्य हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

(5) The authorised shop-keeper shall issue bill in triplicate in the prescribed Form-2. The signature of the recipient in full shall be taken on the bill. The original copy of the bill shall given to the recipient and second copy shall be sent to the Secretary along with the statement of claims in Form-3, the third copy will be retained by the shop-keeper for his record.

(6) The authorised shopkeeper shall send a statement of claim in respect of medicines supplied to the ex-member in Form-3 accompanied by the second copy of the bill to the Secretary for getting payment.

Provided that expenditure incurred by an ex-member on treatment of himself or his family member during the period from 1st April, 2010 to the date of publication of these rules or on the date of issue of Medical Diary under these rules, whichever is earlier, shall be reimbursed on the basis of prescription of authorised medical attendant and the cash memo issued by the authorised shops or licensed medical shops and the such amount shall be counted for the purpose of ceiling specified in rule 3 and any amount above the ceiling specified in rule 3 shall be reimbursed subject to the approval of the Committee specified in rule 4 up to a maximum amount of Rs. 35000/-.

6. Charges for Ex-member's Medical Diary.– (1) It shall be obligatory for every ex-member either to get the medical diary renewed every year on payment of annual/renewal fee amounting to Rs. 400/- or make one time for whole life fee amounting to Rs. 5000/-, as the case may be.

(2) The above amount shall be deposited in revenue receipt head.

(3) In case of loss of original Medical Diary after renewal during the financial year, the Secretary shall issue a duplicate medical diary on payment of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) after taking an undertaking from the concerned ex-member giving details of the amount up to which he has already taken medicines free of cost till the date of the undertaking. He/she also gives an undertaking to the effect that in case it is found that he/she has utilised both the original and duplicate Medical Diaries for the purpose of taking medicines free of cost, he/she shall be

(5) प्राधिकृत दुकानदार विहित प्ररूप-2 में तीन प्रतियों में बिल जारी करेगा। प्राप्तकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर बिल पर लिए जायेंगे। बिल की मूल प्रति प्राप्तकर्ता को दी जायेगी और दूसरी प्रति प्ररूप-3 में दावों के विवरण के साथ सचिव को भेजी जायेगी, तीसरी प्रति दुकानदार अपने अभिलेख के लिए रखेगा।

(6) प्राधिकृत दुकानदार, संदाय प्राप्त करने के लिए सचिव को बिल की दूसरी प्रति के साथ प्ररूप-3 में भूतपूर्व सदस्य को प्रदाय की गयी औषधों के सम्बन्ध में दावे का विवरण भेजेगा :

परन्तु 1 अप्रैल, 2010 से इन नियमों के प्रकाशन की तारीख तक या इन नियमों के अधीन चिकित्सा डायरी जारी होने की तारीख पर, इनमें से जो भी पहले हो, भूतपूर्व सदस्य द्वारा स्वयं या उसके कुटुम्ब के सदस्य के उपचार पर उपगत व्यय का प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के नुस्खें और प्राधिकृत दुकानों या अनुज्ञप्त चिकित्सा दुकानों द्वारा जारी कैश मीमों के आधार पर पुनर्भरण किया जायेगा और ऐसी रकम की गणना नियम 3 में विनिर्दिष्ट सीमा के प्रयोजन के लिए की जायेगी और नियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी रकम का पुनर्भरण नियम 4 में विनिर्दिष्ट समिति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम 35,000/- रुपये की रकम तक किया जायेगा।

6. भूतपूर्व सदस्य की चिकित्सा डायरी के लिए प्रभार.- (1) प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह या तो 400/- रुपये वार्षिक/नवीकरण फीस का संदाय कर प्रति वर्ष चिकित्सा डायरी का नवीकरण कराये या, यथास्थिति 5000/- रुपये एकबारीय सम्पूर्ण जीवन की फीस के लिए संदत्त कर दे।

(2) उपर्युक्त रकम राजस्व प्राप्तियों के शीर्ष में निक्षिप्त की जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष के दौरान नवीकरण के पश्चात् मूल चिकित्सा डायरी के खो जाने की दशा में सचिव 100/- रुपये (रुपये एक सौ) के संदाय पर सम्बन्धित भूतपूर्व सदस्य से एक वचनबंध, जिसमें वचनबंध की तारीख तक उसके द्वारा पहले से ही ली गयी नि:शुल्क औषधों की रकम के ब्यौरे होंगे, लेने पश्चात् चिकित्सा डायरी की दूसरी प्रति जारी करेगा। वह इस आशय का एक वचनबंध भी देगा/देगी कि यदि यह पाया जाता है कि उसने नि:शुल्क औषध लेने के प्रयोजन के लिए मूल डायरी और चिकित्सा डायरी की दूसरी प्रति दोनों

permanently debarred from the medical facilities admissible under these rules.

7. Procedure for claiming medical reimbursement.- (1) For claiming medical reimbursement the original receipts and vouchers of medicines issued by the hospital and Essentiality Certificate in the forms given in Appendix V and VI of the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules. 2008, with the modification that the words "Government Servants" shall be substituted as "Ex-Member", shall be countersigned by the hospital authorities where treatment has been taken.

(2) ex-member, getting treatment in Government hospitals/ approved hospital/referred hospital within the State or outside the State, as the case may be, shall be required to submit his/her medical claim after obtaining treatment in accordance with these rules to the Secretary along with the following papers for sanctioning the medical claims,-

(i) Attested Photostat copy of the page of medical diary containing the entry of renewal medical diary containing joint/ single photograph, as the case may be;

(ii) Attested Photostat copy of the page of Medical diary containing the entry renewal of medical diary for that year in which facility is availed;

(iii) Essentiality Certificate with vouchers duly countersigned by the hospital authorities, where treatment has been taken; and

(iv) Attested Photostat copy of the admission-discharge card containing the details of admission, operation and discharge from the hospital.

8. Fixed Medical Allowance to Ex-members.– #(1) Where an ex-member does not want to avail the medical facility under these rules and opt to take a fix medical allowance, a fix medical allowance amounting to Rs. 300/- per month shall be payable to him/her. An ex-member may give option either for medical diary or fix medical allowance on the commencement of the every financial year but not later

Sub : F7(2) Sansad/ 2009 dated Feb, 2012 wef 1st Oct, 2011

का उपयोग किया है तो उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय चिकित्सा सुविधाओं से स्थाई रूप से विवर्जित कर दिया जायेगा।

7. चिकित्सा पुनर्भरण का दावा करने की प्रक्रिया.- (1) चिकित्सा पुनर्भरण का दावा करने के लिए अस्पताल द्वारा जारी औषधों की मूल रसीदें और वाउचर और राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के परिशिष्ट 5 और 6 में दिये गये प्ररूपों में इस उपांतरण के साथ कि शब्दों ''सरकारी कर्मचारी'' के स्थान पर शब्द ''भूतपूर्व सदस्य'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा, जहां उपचार लिया गया है, परमावश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(2) राज्य के भीतर या, यथास्थिति, राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों/अनुमोदित अस्पतालों/निर्दिष्ट अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सदस्य से, इन नियमों के अनुसार उपचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपने चिकित्सा दावे को निम्नलिखित कागज-पत्रों के साथ सचिव को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी :-

(i) संयुक्त/एकल फोटो अन्तर्विष्ट करने वाले चिकित्सा डायरी के पृष्ठ की अनुप्रमाणित फोटोप्रति;

(ii) उस वर्ष जिसमें सुविधा प्राप्त की गयी है, के चिकित्सा डायरी के नवीकरण की प्रविष्टि को अन्तर्विष्ट करने वाले चिकित्सा डायरी के पृष्ठ की अनुप्रमाणित फोटोप्रति;

(iii) अस्पताल, जहां उपचार प्राप्त किया गया है, के प्राधिकारियों द्वारा परमावश्यक प्रमाण-पत्र के साथ सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित वाउचर्स; और

(iv) अस्पताल में भर्ती, आपरेशन और उन्मोचन के ब्योरे अन्तर्विष्ट करने वाले भर्ती-उन्मोचन कार्ड की अनुप्रमाणित फोटोप्रति।

8. भूतपूर्व सदस्यों को नियत चिकित्सीय भत्ता. [#]''(1) जहां कोई भूतपूर्व सदस्य इन नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है और नियत चिकित्सीय भत्ता लेने का विकल्प देता है वहां 300/- रुपये की रकम का एक नियत चिकित्सीय भत्ता उसे प्रतिमास संदेय होगा। कोई भूतपूर्व सदस्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर किन्तु जो वर्ष के 25 अप्रैल से अपश्चात् न हो, या तो चिकित्सा डायरी या नियत चिकित्सीय भत्ते के लिए विकल्प दे

[#] अधिसूचना क्रमांक एफ7(2) संसद/2009 दिनांक 1 फरवरी, 2012 दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी

than 25th April of the year. In case in ex-member does not give any revised option within the above time limit, the existing option shall prevail.

Note : For the Financial year 2011-12 option shall be exercised for the remaining period of the financial year.

(2) The amount of fixed medical allowance shall be disbursed by the Secretary to the ex-member every three months. He shall ensure receipt of amount of earlier payment before disbursing the next payment and shall maintain a separate register of payment of fixed medical allowance.

(3) In case an ex-member is residing in a remote area where adequate medical facility of free medicines is not available, such ex-member shall have an option either to continue to avail medical facility on the basis of medical diary or in lieu of, if he may get fixed medical allowance of Rs. 300/- per month for outdoor treatment. The payment shall be made by the Secretary by making entry in the ex-member's medical diary.

(4) An ex-member shall submit an application for reimbursement of fixed medical allowance in the Form 4 or Form 5, as the case may be, to the Secretary.

9. Procedure for furnishing Life Certificate.– every ex-member shall furnish his/her life certificate once in the month of April of every financial year duly verified by the Gazetted Officer.

10. Recognition of Authorised shops for supply of medicines.– (1) All Cooperative Medical Stores organised and run by Rajasthan Sahakari. Upbhokta Bhandar shall be authorised shops for supply of medicines to the ex-members on the basis of prescription by authorized medical attendant under these rules.

(2) At such places, where there is no Cooperative Medical Stores referred to in sub-rule (1), the Secretary shall recognise certain medical stores/shops already authorised by the District Authority for supply of medicines to the ex-members under these rules.

सकेगा। यदि भूतपूर्व सदस्य उपर्युक्त समय सीमा के भीतर कोई पुनरीक्षित विकल्प नहीं देता है तो विद्यमान विकल्प अभिभावी होगा।

टिप्पणी : चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विकल्प वित्तीय वर्ष की शेष कालावधि के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।''

(2) नियत चिकित्सीय भत्ते की रकम प्रत्येक तीन मास में भूतपूर्व सदस्य को सचिव द्वारा संवितरित की जायेगी। वह अगले संदाय को संवितरित करने से पूर्व पिछले संदाय की रकम की प्राप्त को सुनिश्चित करेगा और नियत चिकित्सीय भत्ते के संदाय का एक पृथक रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

(3) यदि कोई भूतपूर्व सदस्य ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में निवास कर रहा है जहां नि:शुल्क औषधों की पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य के पास यह विकल्प होगा कि या तो वह चिकित्सा डायरी के आधार पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना जारी रखे या उसके बदले, बाह्य उपचार के लिए *300/- रुपये प्रतिमास का नियत चिकित्सीय भत्ता प्राप्त करे। संदाय सचिव द्वारा भूतपूर्व सदस्य की चिकित्सा डायरी में प्रविष्टि करके किया जायेगा।

(4) कोई भूतपूर्व सचिव को नियत चिकित्सा भत्ते के पुनर्भरण के लिए प्ररूप 4 या, यथास्थिति प्ररूप 5 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

9. जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रक्रिया.- प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल मास में एक बार देगा।

10. औषधों के प्रदाय के लिए प्राधिकृत दुकानों की मान्यता.- (1) राजस्थान सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित और चलायी जा रही समस्त सहकारी चिकित्सा स्टोर्स, इन नियमों के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के नुस्खे के आधार पर भूतपूर्व सदस्य को औषधों के प्रदाय के लिए प्राधिकृत दुकानें होंगी।

(2) ऐसे स्थानों पर, जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई सहकारी चिकित्सा स्टोर्स नहीं हैं, सचिव, जिला प्राधिकारी द्वारा पहले से ही प्राधिकृत कतिपय चिकित्सा स्टोर्स/दुकानों को इन नियमों के अधीन भूतपूर्व सदस्यों को औषधों के प्रदाय के लिए मान्यता देगा।

11. Issuance of Non-availability Certificate to the ex-members in respect of medicines not available at authorized shops and its reimbursement.– (1) In case the medicines prescribed by the Authorized Medial Attendant in the medical diary of the ex-member are not available with the authorized shops, the in-charge of the shop shall issue a Non-availability Certificate (N.A.C.) to the ex-member.

(2) An ex-member shall purchase the medicines from the licensed medicinal shop.

(3) An ex-member shall submit the claims of medicines purchased on the basis of N.A.C. to the Secretary alongwith Medical Diary.

(4) The Secretary shall ensure that reimbursement of claim submitted by the ex-member is made as early as possible, but in no case later than three months.

12. Availability of medical facility.– (1) An ex-member and his spouse may avail medical facility under allopathic, Ayurvedica, Unani and Homeopathic system of treatment under these rules and no option shall be necessary.

(2) In case the ex-member and his spouse take medical attendance and treatment in a hospital other than Government hospital/approved hospital, reimbursement of medical claim shall not be admissible.

13. Misuse of Medical Diary.– (1) In case where it is found that an ex-member has abused or misused any of the concessions allowed under these rules, he/she be permanently debarred from availing of the concessions under these rules.

(2) If the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly is satisfied that an ex-member has abused the concession under these rules then he shall be competent to pass an order under sub-rule (1).

*14. **Medical Facilities to the Family Pensioners**- Every family Pensioner shall be provided free medical attendance and treatment as admissible to ex-member. All other provisions of these rules shall mutatis mutaindies apply for the purpose to grant free medical attendance and treatment facility to the family pensioner (w.e.f. from 1st April, 2012)

---

* No. 7(1) Sensad/ 2012 dated 14th June, 2012 w.e.f 1.4.2012

11. प्राधिकृत दुकानों पर अनुपलब्ध औषधों के सम्बन्ध में भूतपूर्व सदस्यों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना और उनका पुनर्भरण.- (1) यदि भूतपूर्व सदस्य की चिकित्सा डायरी में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा विहित औषध प्राधिकृत दुकान पर उपलब्ध नहीं हैं तो दुकान का प्रभारी भूतपूर्व सदस्य को अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (एन.ए.सी.) जारी करेगा।

(2) भूतपूर्व सदस्य अनुज्ञप्त चिकित्सा दुकान से औषध क्रय करेगा।

(3) भूतपूर्व सदस्य, सचिव को एन.ए.सी. के आधार पर क्रय की गयी औषधों के दावे चिकित्सा डायरी के साथ प्रस्तुत करेगा।

(4) सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि भूतपूर्व सदस्य द्वारा प्रस्तुत दावे का पुनर्भरण यथा सम्भव शीघ्र किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में तीन मास से पश्चात् नहीं।

12. चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता.- (1) भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति इन नियमों के अधीन उपचार की पद्धति एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेगा और कोई विकल्प आवश्यक नहीं होगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति सरकारी अस्पताल/ अनुमोदित अस्पताल से भिन्न किसी अस्पताल में चिकित्सा परिचर्या और उपचार लेते हैं तो चिकित्सा दावे का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

13. चिकित्सा डायरी का दुरुपयोग.- (1) यदि यह पाया जाता है कि किसी भूतपूर्व सदस्य ने इन नियमों के अधीन अनुज्ञात रियायतों का दुरुपयोग किया गया है तो उसे इन नियमों के अधीन रियायतों का उपयोग करने से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जायेगा।

(2) यदि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि किसी भूतपूर्व सदस्य ने इन नियमों के अधीन रियायत का दुरुपयोग किया है तो वह उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम होगा।

*__14. ''कुटुम्ब पेन्शनरों को चिकित्सा सुविधाएं.-__ प्रत्येक कुटुम्ब पेंशनर को किसी भूतपूर्व सदस्य को अनुज्ञेय मुफ्त चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। इन नियमों के समस्त अन्य उपबन्ध कुटुम्ब पेंशनर को मुफ्त चिकित्सा परिचर्या और उपचार मंजूर करने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू हो।'' (1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी)

---

* अधिसूचना एफ7(1) संसद/2012 दिनांक जून 14, 2012 दिनांक 1-4-2012 से प्रभावी

***15. Savings.** - Nothing in these rules shall be deemed to prevent the Government from granting to a ex-member of Rajasthan Legislative Assembly any concession relating to medical treatment and attendance and traveling allowance for any journey perferred by him which is not authorized by these rules. (w.e.f. 9th November, 2010)

---

*F7(1) Sensad/ 2012 dated 14th June 2012 w.e.f 9 Nov. 2010

*15. ''**व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई भी बात राजस्थान विधान सभा के किसी भूतपूर्व सदस्य को चिकित्सा उपचार और परिचर्या और उसके द्वारा की गयी किसी यात्रा के लिए यात्रा-भत्ते, जो इन नियमों द्वारा प्राधिकृत नहीं है, के सम्बन्ध किसी रियायत को सरकार द्वारा मंजूर करने से रोकना नहीं समझा जायेगा।'' (दिनांक 9 नवम्बर, 2010 से प्रभावी)

---

* अधिसूचना एफ7 (1)संसद 2012 दिनांक 14 जून, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक नवम्बर 9, 2010 से प्रभावी

(117)

Form-1

(See rule 5)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

EX-MEMBERS MEDICAL CONCESSION DIARY

DIARY NUMBER

प्ररुप-1

(नियम 5 देखिए)

राजस्थान विधान सभा

भूतपूर्व सदस्य चिकित्सा रियायत डायरी

डायरी संख्यांक

INDEX

S. No.	Details	Page Number
1.	Medical Card	1
2.	Valid Period of Medical Diary	2
3.	Prescription of Medicines and Cash Memo	3
4.	Details of financial limit	4
5.	Life Certificate of ex-member	5

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	ब्यौरा	पृष्ठ संख्यांक
1.	चिकित्सा कार्ड	1
2.	चिकित्सा डायरी की विधिमान्य कालावधि	2
3.	औषधों का नुस्खा और केश मीमो	3
4.	वित्तीय सीमा का ब्यौरा	4
5.	भूतपूर्व सदस्य के जीवित होने का प्रमाण-पत्र	5

MEDICAL CARD

RLASR……Dated……..

1. P.P.O./I.D. Number……..

2. (a) Name of ex-member……..

Date of Birth……..

JOINT PHOTO

(b) Name of husband/wife…….

(if dependent on ex-member)

Date of Birth…….

(c) Name of dependent handicapped son/daughter,

Not capable to earn……

(if he/she is authorised for medical facility)

3. Date of starting of pension……..

4. Specimen signature 1. Ex-member……

2. Wife/husband……

5. Full Address ……..….

…….…..

…….….

6. Validity of Medical Diary annual

whole life

Signature of Secretary

With Seal

चिकित्सा कार्ड

पीएलएएसआर.....दिनांक.....

1. पी.पी.ओ./आई.डी. संख्यांक

संयुक्त फोटो

2. (क) भूतपूर्व सदस्य का नाम.....

जन्म तारीख.....

(ख) पति/पत्नी का नाम.....

(यदि भूतपूर्व सदस्य पर आश्रित हो)

जन्म तारीख.....

(ग) आश्रित विकलांग पुत्र/पुत्री का नाम जो

आजीविका कमाने में अक्षम हो.....

(यदि उसे चिकित्सा सुविधा के लिए प्राधिकृत किया गया हो)

3. पेंशन प्रारम्भ होने की तारीख.....

4. नमूने के हस्ताक्षर 1. भूतपूर्व सदस्य.....

2. पत्नी/पति.....

5. पूरा पता.....

.....

.....

6. चिकित्सा डायरी की विधिमान्यता वार्षिक

आजीवन

सचिव

के हस्ताक्षर मय मुहर

Valid Period of Medical Diary

S. No.	Whole life/ Annual	Amount (Rs.)	Receipt Number and Date	Signature of Secretary/Chief Account Officer.
1.	Whole life			
2.	2009-10			
3.	2010-11			
4.	2011-12			
5.	2012-13			
6.	2013-14			
7.	2014-15			
8.	2015-16			

चिकित्सा डायरी की विधिमान्य कालावधि

क्र. सं.	आजीवन/ वार्षिक	रकम (रु.)	रसीद संख्यांक एवं दिनांक	सचिव/मुख्य लेखाधिकारी के हस्ताक्षर
1.	आजीवन			
2.	2009-10			
3.	2010-11			
4.	2011-12			
5.	2012-13			
6.	2013-14			
7.	2014-15			
8.	2015-16			

Name of Hospital/Dispensary……...….

Name of Patient……..

Age…….

Detail of disease……..……..

Number and date of Outdoor/Indoor…….

Details of prescribed medicines by Medical Attendant

Name of Medicines **Quantity**

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Name of authorised shop……..……

Bill Number……..……..Date……..……

Amount……....Progressive Total……..…

Signature of Authorised Medical Attendant

with seal

Signature of Salesman

with seal of Shop

अस्पताल/डिस्पेन्सरी.....

रोगी का नाम.....

आयु.....

रोग का ब्यौरा.....

बहिरंग/ अन्तरंग संख्याक और तारीख.....

चिकित्सा परिचारक द्वारा विहित औषधों का ब्यौरा :

औषधों का नाम **मात्रा**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

प्राधिकृत दुकान का नाम.....

बिल संख्यांक.....तारीख.....

रकम.....अनुक्रमिक योग.....

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के
हस्ताक्षर मय मुहर

विक्रयकर्ता के हस्ताक्षर मय
दुकान की मुहर

Details of Financial limit

Year……

Original Limit Amount Rupees 5000/-

The age of 75 years or above Amount Rupees 10000/-

S. No.	Sanction order Number and date of Rajasthan Legislative Assembly	Increased Amount of Financial limit	Total Finan-cial Limit	Signature of Secretary/ Chief/ Senior Accounts Officer	In case the Financial limit is not available, details of medicines provided as a Indoor patient	Name of Shop	Bill Number and Date	Amount

Signature of Salesman

वित्तीय सीमा का ब्यौरा

वर्ष.....

5000/- रुपये की रकम की मूल सीमा

75 वर्ष या उससे अधिक की आयु पर रुपये 10000/-

क्र. सं.	राजस्थान विधान सभा की स्वीकृति आदेश संख्यांक और तारीख	वित्तीय सीमा की बढ़ायी गयी रकम	कुल वित्तीय सीमा	सचिव/ मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी के हस्ताक्षर	वित्तीय सीमा उपलब्ध न हो तो अन्तरंग रोगी के रूप में उपलब्ध करायी गयी औषधों का ब्यौरा	दुकान का नाम	बिल संख्यांक और तारीख	रकम

हस्ताक्षर विक्रयकर्ता

Life Certificate of Ex-member

It is certified that Shri/Shrimati……..Ex-member, P.P.O./I.D. Number……..is alive and today date…… I saw him.

Dated……..……

Signature of Authorised Medical Attendant/

Gazetted Officer with seal

भूतपूर्व सदस्य के जीवित होने का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....भूतपूर्व सदस्य, पी.पी.ओ./आई.डी. संख्यांक.....जीवित है और आज दिनांक..... को मैंने उन्हें देखा है।

दिनांक.....

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक/
राजपत्रित अधिकारी की मुहर सहित
हस्ताक्षर

Form-2

(See rule 5)

BILL OF MEDICINE FOR EX-MEMBERS

Name of Medical Shop/Store ……...……..…

(Authorised Medical Shop)

S. No……..

Shri/Smt. ……..….P.P.O./I.D. No. ……..…….

Medical Diary No ……O.P. Ticket No. & Date……..……..…

Name of Hospital/Dispensary ……..…..

S. No.	Name of Medicine	Batch No.	Qty.	Rate	Cost
				Total :	

Signature of Ex-member or his spouse or his authorised representative

Signature of Shopkeeper

प्ररुप-2

(नियम 5 देखिए)

भूतपूर्व सदस्यों के लिए औषधों के बिल

चिकित्सा दुकान/स्टोर का नाम.....

(प्राधिकृत चिकित्सा दुकान)

क्र.सं. .....

श्री/श्रीमती.....पी.पी.ओ./आई.डी. सं. .....

चिकित्सा डायरी सं. ..... ओ.पी. टिकट सं. और तारीख .....

अस्पताल/डिस्पेन्सरी का नाम.....

क्र.सं.	औषधों का नाम	बैच सं.	मात्रा	दर	कीमत
				योग :	

भूतपूर्व सदस्य के या उसकी पत्नी या पति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दुकानदार के हस्ताक्षर

Form-3

(See rule 5)

STATEMENT OF CLAIM

Name of Medical Shop/Store ……...…….

(Authorised Medical Shop)

No……...…..Date…...…….for the month ending….…….20……...

S. No.	Bill No.	Amount
	Total :	

Signature of Shopkeeper

with seal.

प्ररुप-3

(नियम 5 देखिए)

दावे का विवरण

चिकित्सा दुकान/स्टोर का नाम.....

(प्राधिकृत चिकित्सा दुकान)

20.....में समाप्त हो रहे मास के लिए सं. ..... तारीख .....

क्र.सं.	बिल सं.	रकम
	योग :	

दुकानदार के हस्ताक्षर

मुहर सहित।

Form-4

(See rule 8)

Form of Application for grant of fixed Medical Allowance to the Ex-member/his spouse drawing pension in other State

To

The Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly,

Jaipur,

Photograph duly attested By the C.A.O., RLA (Joint Photograph of the ex-member & spouse, if the spouse is alive)

Sub : Application for grant of fixed medical allowance of Rs. *300/- per month to ex-member/his spouse of the State of Rajasthan drawing pension in other State.

1. Ex-member's/his spouse's name (in capital letters)
2. Father's/Husband's name
3. Date of birth
4. Date of death of ex-member in case the applicant is spouse
5. Name of the Area and District from where he/she elected
6. P.P.O/F.P.P.O/I. Card. Number (Raj. State)……..(Present State) ……(Attach Attested copy/and I.D. No.)
7. Amount of Pension
8. Name of Spouse (if living)
9. Source from which pension is being drawn

   (Give name of the Branch of the Bank & A/c No.)
10. Enclose Bank Draft on one time fee of Medical Diary

    (i) All Ex-members 5000/-
11. Give details of the Bank Draft……..

I declare that the above information is correct.

Dated : (Signature of the ex-member)

Full Address

---

* Sub. F(7)(2) Sansad/2009 dated Feb 1, 2012 w.e.f. 1st October, 2011

प्ररुप-4

(नियम 8 देखिए)

अन्य राज्य में पेंशन आहरित कर रहे भूतपूर्व सदस्य/उसकी पत्नी या पति को नियत चिकित्सा भत्ते की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररुप

प्रेषिती,

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

सी.ए.ओ., आर.एल.ए. द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित फोटो (भूतपूर्व-सदस्य और उसकी पत्नी या पति का संयुक्त फोटो यदि पत्नी या पति जीवित हो)

विषय : अन्य राज्य में पेंशन आहरित कर रहे राजस्थान राज्य के भूतपूर्व सदस्य/उसकी पत्नी या पति को *300/- रु. प्रतिमास का नियत चिकित्सा भत्ते की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र।

1. भूतपूर्व सदस्य/उसकी पत्नी या पति का नाम (बडे अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तारीख
4. यदि आवेदक पत्नी या पति है तो भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु की तारीख
5. क्षेत्र और जिले का नाम जहां से वह निर्वाचित हुआ/हुई
6. पी.पी.ओ./एफ.पी.पी.ओ./आई कार्ड संख्यांक (राजस्थान राज्य).....
   (वर्तमान राज्य) .....
   (अनुप्रमाणित प्रति और आई.डी. सं. संलग्न करें)
7. पेंशन की रकम
8. पत्नी या पति का नाम (यदि जीवित हो)
9. स्त्रोत जहां से पेंशन आहरित की जा रही है।
   (बैंक की शाखा का नाम और खाता सं. दीजिए)
10. चिकित्सा डायरी की एकबारीय फीस का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें
    (i) समस्त भूतपूर्व सदस्य 5000/- रुपये
11. बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा दीजिए.....

मैं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि उक्त जानकारी सही है।

दिनांक : (भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर)
पूरा पता

---

*अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) संसद/2009 दिनांक 1 फरवरी, 2012 दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से

Form -5

(See rule 8)

Form of Application for grant of fixed Medical Allowance to the Ex-member/his spouse residing in the remote area and drawing pensions within the State

To

The Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly

……...

Joint Photograph of the ex-member & spouse, if the spouse is alive)

Sub : Application for grant of fixed medical allowance of Rs. *300/- per month to ex-member/his spouse residing in the remote area and drawing pension within the State.

1. Ex-member's/his spouse's name (in capital letters)
2. Father's/Husband's name
3. Date of birth
4. Date of death of ex-member in case the applicant is spouse
5. Name of the Area and District from where he/she elected
6. P.P.O./I. Card Number (Raj. State)……..(Present State)…… (Attach Attested copy of PPO/I.D.)
7. Amount of Pension
8. Name of Spouse (if living)
9. Source from which pension is being drawn

   (Give name of the Branch of the Bank & A/c No.)
10. Renewal fee of Medical Diary deposited vide receipt No…….dated……. (Copy to be enclosed)

I declare that the above information is correct.

Dated : (Signature of the ex-member/his spouse)

Full Address

---

* N. F7(2) Sansad/2009 dated Feb. 1, 2012 w.e.f. 1st October, 2011

प्ररुप-5

(नियम 8 देखिए)

दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे और राज्य के भीतर पैंशन आहरित कर रहे भूतपूर्व सदस्य/ उसकी पत्नी या पति को नियत चिकित्सा भत्ते की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररुप

प्रेषिती,

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

सी.ए.ओ., आर.एल.ए. द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित फोटो (भूतपूर्व-सदस्य और उसकी पत्नी या पति का संयुक्त फोटो यदि पत्नी या पति जीवित हो

विषय : दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे और राज्य के भीतर पेंशन आहरित कर रहे भूतपूर्व सदस्य/ उसकी पत्नी या पति को *300/- रु. के नियत चिकित्सा भत्ते की मंजूरी के लिए आवेदन।

1. भूतपूर्व सदस्य/ उसकी पत्नी या पति का नाम (बडे अक्षरों में)
2. पिता/ पति का नाम
3. जन्म तारीख
4. यदि आवेदक पत्नी या पति है तो भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु की तारीख
5. क्षेत्र और जिले का नाम जहां से वह निर्वाचित हुआ/हुई
6. पी.पी.ओ./ आई कार्ड संख्यांक (राजस्थान राज्य).....
   (वर्तमान राज्य).....(पी.पी.ओ./आई.डी. की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. पेंशन की रकम
8. पत्नी या पति का नाम (यदि जीवित हो)
9. स्त्रोत जहां से पेंशन आहरित की जा रही है
   (बैंक की शाखा का नाम और खाता सं. दीजिए)
10. रसीद सं.....दिनांक.....द्वारा निक्षिप्त की गयी चिकित्सा डायरी की नवीकरण फीस (प्रति संलग्न की जाये)

मैं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि उक्त जानकारी सही है।

दिनांक :

(भूतपूर्व सदस्य/उसकी
पत्नी या पति के हस्ताक्षर)

पूरा पता

अधिसूचना एफ7(2) संसद/2009 दिनांक 1 फरवरी, 2012 दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी

For use in the Office of the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly,……..

1. The Renewal fee of Rs……has been credited on……
2. The above application has been enrolled in the Register at S. No……..
3. The Fixed medical allowance of Rs……/- p.m. is being allowed w.e.f….

Secretary

By Order of the Governor,

S. D. Tak

Principal Secretary to the Government

सचिव, राजस्थान विधान सभा के कार्यालय उपयोग के लिए

1. नवीकरण फीस रु. .....दिनांक.....को जमा की गयी।

2. उक्त आवेदन को रजिस्टर में क्र.सं. पर प्रविष्ठ किया गया।

3. .....रु. प्रति मास का नियत चिकित्सा भत्ता दिनांक .....से अनुज्ञात किया जाता है।

सचिव,

राज्यपाल के आदेश से,

एस. डी. टाक

प्रमुख शासन सचिव